

कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संरक्षित अरावली भूमि पर बने एक नजी वशिवदियालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी।

- **वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980** में संशोधन के बाद से कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने वाली यह हरियाणा की पहली परियोजना है।

प्रमुख बिंदु:

- पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 की धारा 4 और 5 के तहत वर्गीकृत, वशिवदियालय 13.6 हेक्टेयर अरावली भूमि पर स्थित है, जो पूर्व अनुमति के बिना वनों की कटाई, पुनर्विक्रय तथा भूमि के वखंडन पर रोक लगाता है।
- संशोधित अधिनियम के कारण, सरकार उन परियोजनाओं या उद्योगों को मंजूरी दे सकती है, जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किये बिना कार्य करना शुरू कर दिया है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समीक्षा के बाद उनके पर्यावरणीय प्रभाव का खुलासा कर सकती है।
- समिति ने कुछ शर्तों पर अपनी मंजूरी दी:
 - भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, हाथी या बाघ अभयारण्य का हिस्सा नहीं होना चाहिये।
 - वशिवदियालय प्रतपूरक वनीकरण के लिये गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र की पहचान करेगा और उस पर वृक्षारोपण करेगा।
- असाधारण मामलों में क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालयों को ऐसे प्रस्तावों की जाँच करने और उन पर कार्रवाई करने तथा उचित नर्णयों के लिये टिप्पणियों एवं सफारिशों के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।
- संशोधित FCA में कहा गया है किये **भारतीय वन अधिनियम, 1927** के अनुसार वन के रूप में "अधिसूचित" भूमि पर लागू होगा। संशोधित FCA 12 दिसंबर, 1996 से पहले राज्य द्वारा अधिकृत किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा वन से गैर-वन उद्देश्यों के लिये परिवर्तित क्षेत्रों पर लागू नहीं है।
- 12 दिसंबर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम टी.एन गोदावर्मान मामले में FCA को ऐसे किसी भी क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया गया, जहाँ इसके "वन" शब्द को उसके "शब्दकोश के अर्थ" के अनुसार समझा जाना चाहिये।

DIVERSION 'UNAVOIDABLE & BAREST MINIMUM'

1998 | Construction of university begins next to Badkhal-Surajkund road in Faridabad, continues till 2004-05

2008 | Forest dept submits report to Supreme Court, saying the university building and other encroachments on forest land are to be razed

2022 | Forest dept tells Union environment ministry university was built in violation of Forest (Conservation) Act, 1980

2023 | After FCA amendment, university approaches environment ministry for post-facto clearance. It's granted by advisory committee

WHY THE NOD

According to the ministry's advisory committee,

➤ Requirement of land to be diverted is 'unavoidable and barest minimum'

➤ As university proposal envisaged 'access' to education in area, there's forest land is unavoidable

➤ University is not located on forest land with any socio-cultural or cultural value

➤ There's no protected archaeological/heritage site or defence establishment in area

➤ No rare or endangered species of flora and fauna recorded in area

➤ University does not lie in way of any national park or wildlife sanctuary



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/first-project-in-haryana-to-get-post-facto-environmental-clearance>

